–: राजस्थान सरकार:–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–64/2023 (जीसीएमएस नं0 2021/74)

उनवान –सरकार बनाम 1.असीम बिसेन पुत्र श्री शिवराम बिसेन, उम्र 29 वर्ष, जाति बिसेन, (मैनूफैक्चरिंग केमिस्ट एवं विकेता) मैसर्स– ओगीसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी :आर/ओ0 45 ग्राम दिनेश पो0 दीनी तह0 बारा सिवनी जिला बालाघाट (म0प्र0), 2. ज्योति प्रसाद(डायरेक्टर) मैसर्स–ओगिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर,, 3. सौरभ सवने (डायरेक्टर) मैसर्स–ओगिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –31.07.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त **1.असीम बिसेन पुत्र श्री शिवराम बिसेन, उम्र 29 वर्ष, जाति बिसेन, (मैनूफैक्चरिंग केमिस्ट एवं विकेता) मैसर्स– ओगीसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी :आर/ओ0 45 ग्राम दिनेश पो0 दीनी तह0 बारा सिवनी जिला बालाघाट (म0प्र0), 2. ज्योति प्रसाद(डायरेक्टर) मैसर्स–ओगिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर,, 3. सौरभ सवने (डायरेक्टर) मैसर्स–ओगिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर** के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अभियुक्त/अप्रार्थी की मैसर्स– **ओगीसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर** फर्म के निरीक्षण के दौरान फर्म में लगभग 2500 बोतल मैक्सकेम मल्टीविटामिन फोर्ट सिरप आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। उक्त एफिजाईम सिरप में मिलावट का शक होने पर उक्त एफिजाईम सिरप में से 12 बोतल (प्रत्येक 200 एमएल) ग्राम मैक्सकेम मल्टीविटामिन फोर्ट सिरप वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मैक्सकेम मल्टीविटामिन फोर्ट सिरप नमूना डी–1794 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जॉच रिपोर्ट एलएस/451/एसीटी/2020/522 दिनांक 23.09.2020 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया मैक्सकेम मल्टीविटामिन फोर्ट सिरप सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्तगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

Scanned with OKEN Scanner

–: राजस्थान सरकारः–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण मु0नं0–64/2021 उनवानी सरकार बनाम आसीम बिसेन बगैरा

(2)

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड मैक्सकेम मल्टीविटामिन फोर्ट सिरप का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण सब स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड मैक्सकेम मल्टीविटामिन फोर्ट सिरप बेचने का दोषी है जो धारा 51 एवं 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण **1.असीम बिसेन पुत्र श्री शिवराम बिसेन, उम्र 29 वर्ष, जाति बिसेन, (मैनूफैक्चरिंग केमिस्ट एवं विक्रेता) मैसर्स– ओगीसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी :आर/ओ0 45 ग्राम दिनेश पो0 दीनी तह0 बारा सिवनी जिला बालाघाट (म0प्र0), 2. ज्योति प्रसाद(डायरेक्टर) मैसर्स–ओगिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर,, 3. सौरभ सवने (डायरेक्टर) मैसर्स–ओगिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर** पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत राशि 31000/–रुपये (इक्यावन हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)

Scanned with OKEN Scanner